## कार्यालय झाँसी नगर निगम, झाँसी

सेवा में.

सचिव / उपाध्यक्ष झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

पत्रांक:- 262 /भ0नि0वि0/न0नि0/2024-25 विषय:-अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में। महोदय,

दिनांक:- 17-110 | ,2024

कृपया आवेदक श्री शुभ राय पुत्र श्री राजेन्द्र राय निवासी- एस -1 माधव नगर नगर गिर्द जिला खालियर म०प्र० के ऑनलाईन प्रार्थना पत्र जे०एन०एन०/एन०ओ०सी०/2024-25/0030 दिनांक 24.09.2024 में मौजा/झाँसी सिविल की भवन संख्या / 588 के जुज भाग में स्थित एक किता आवासीय प्लाट / मकान जिसका कुल क्षेत्रफल 2254 वर्गफुट की नगर निगम झाँसी से अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत है:-

तहसीलदार की जांच आख्या दिनांक 11.08.2024 के अनुसार उक्त प्लाट/मकान में मौजा/झाँसी सिविल की भवन संख्या / 588 के जुज भाग में स्थित प्रार्थी ने पंजीकृत बैनामा द्वारा दिनांक 8102 / 02.02.2024, 24.02.2024, 06.03.2024 को विक्रेता श्री राजेन्द्र राय पुत्र श्री बैजनाथ राय निवासी— एस 1, माधव नगर गिर्द ग्वालियर म०प्र० द्वारा क्रय किया गया है। राजस्व अभिलेखो में प्रार्थी के नाम दर्ज कागजाद नहीं है। प्रश्नगत प्लाट ग्राम सभा, नजूल, वक्फ सीलिंग, पुनर्वास व धारा— 77 में वर्णित आरक्षित श्रेणी की

भूमि नही है।

लेखपाल/राजस्व निरीक्षक की आख्या दिनांक 04.10.2024 के अनुसार प्रश्नगत मौजा/झाँसी सिविल की भवन संख्या / 588 के जुज भाग में स्थित तलपट / प्लाट / भवन के सम्बन्ध में नगर निगम झाँसी से चाहा गया, अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आवेदक द्वारा सभी वांछित अभिलेख (तहसीलदार) की एन0ओ0सी0 सहित प्रस्तुत किये गये है, जिसकी लेखपाल / राजस्व निरीक्षक द्वारा मौके पर जांच की गयी, जिसमें नजूल भूमि, नगर निगम सम्पत्ति / राज्य सरकार की भूमि नही पायी जाती है। जिसमें मलवा शुल्क रू० 5048/— का निर्धारण किया गया है, साथ ही एन0ओ0सी0 शुल्क रू० 2254/— नगर निगम झाँसी कोष में रसीद सं0 pay\_p6qKUt3LfRWVHT/दिनांक 15.10.2024 के द्वारा जमा किया जा चुका है। संलग्न एवं उपलब्ध राजस्व अभिलेखो के मौजा/झाँसी सिविल की भवन संख्या/588 के जुज भाग में नगर निगम का अंश नहीं है।

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 11026/2/2011/दिनांक 18 मई 2011 के अनुपालन में किसी भी रक्षा/सेन्य क्षेत्र की सीमा के 100 मीटर निकटवर्ती क्षेत्र में किसी भी भूमि के संबंध में निर्माण संबंधी आख्या प्रस्तुत नही की जाएगी। यदि तथ्यों को छुपाकर / कपट पूर्वक ऐसी आख्या प्राप्त कर ली जाती है, तो संज्ञान में आने पर स्वतः निरस्त मानी जाएगी। भूमि के सम्बन्ध में राजस्व अधिकारी तहसीलदार से भी इसकी अनुमति प्रदान की जा चुकी है।

प्रश्नगत प्लाट की चौहद्दी निम्नवत्— पूरब— मकान शशि जैन, पश्चिम— सड़क 6.10मी0, उत्तर— मकान श्री राजेन्द्र राय व रास्ता 4.57मी0, दक्षिण- प्रोपर्टी श्री राजेन्द्र राय,

नोट:--

1. आवेदन का दिनांक 24.09.2024

उक्त मानचित्र का प्रयोजन— "आवासीय " से सम्बन्धित है।

3. सैफ्टिक टैंक-IS CODE: 2470 के प्रावधान के अन्तर्गत नक्शे में प्रावधान कर दिया गया है।

कम्पोस्टिंग- प्रश्नगत नक्शा का निर्धारित क्षेत्रफल 5000 वर्गमीटर से कम है, इसलिए कम्पोस्टिंग की आवश्यकता नही है। यह अनापित्त प्रमाण पत्र उसी आवासीय कालोनी /क्षेत्र के लिये मान्य है, जिसका ले-आउट झाँसी विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय कालोनी / क्षेत्र के रूप में स्वीकृत किया है / यदि प्रश्नगत प्रकरण में किसी भी प्रकार का विवाद आने पर अनापित नोट:-प्रमाण पत्र स्वतः निष्प्रभावी/अमान्य/निरस्त माना जायेगा।

> सम्पत्ति अधिकारी झाँसी नगर निगम, झाँसी

दिनांक:-पत्रांक:- 262 / भ०नि०वि० / न०नि० / २०२४-२५ श्री शुभ राय पुत्र श्री राजेन्द्र राय निवासी— एस —1 माधव नगर नगर गिर्द जिला ग्वालियर म०प्र० को सूचनार्थ प्रेषित।

> सम्पत्ति अधिकारी झाँसी नगर निगम, झाँसी

## कार्यालय झाँसी नगर निगम, झाँसी

सेवा में.

सचिव / उपाध्यक्ष झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

पत्रांकः- २६२ /भ०नि०वि० / न०नि० / २०२४ – २५ विष्यः- <u>अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में ।</u> दिनांक:- 17/10/ ,2024

महोदय,
कृपया आवेदक श्री शुभ राय पुत्र श्री राजेन्द्र राय निवासी— एस —1 माधव नगर नगर गिर्द जिला ग्वालियर म०प्र० के ऑनलाईन प्रार्थना पत्र जे०एन०एन०/एन०ओ०सी०/2024—25/0030 दिनांक 24.09.2024 में मौजा/झाँसी सिविल की भवन के ऑनलाईन प्रार्थना पत्र जे०एन०एन०/एन०ओ०सी०/2024—25/0030 दिनांक 24.09.2024 में मौजा/झाँसी सिविल की भवन संख्या/588 के जुज भाग में स्थित एक किता आवासीय प्लाट/मकान जिसका कुल क्षेत्रफल 2254 वर्गफुट की नगर निगम झाँसी से अनापित्त प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत है:—

तहसीलदार की जांच आख्या दिनांक 11.08.2024 के अनुसार उक्त प्लाट/मकान में मौजा/झाँसी सिविल की भवन संख्या/588 के जुज भाग में स्थित प्रार्थी ने पंजीकृत बैनामा द्वारा दिनांक 8102/02.02.2024, 24.02.2024, 06.03.2024 को विक्रेता श्री राजेन्द्र राय पुत्र श्री बैजनाथ राय निवासी— एस 1, माधव नगर गिर्द ग्वालियर म0प्र0 द्वारा क्रय किया गया है। राजस्व अभिलेखो में प्रार्थी के नाम दर्ज कागजाद नहीं है। प्रश्नगत प्लाट ग्राम सभा, नजूल, वक्फ सीलिंग, पुनर्वास व धारा— 77 में वर्णित आरक्षित श्रेणी की भिन नहीं है।

लेखपाल/राजस्व निरीक्षक की आख्या दिनांक 04.10.2024 के अनुसार प्रश्नगत मौजा/झाँसी सिविल की भवन संख्या/588 के जुज भाग में स्थित तलपट/प्लाट/भवन के सम्बन्ध में नगर निगम झाँसी से चाहा गया, अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आवेदक द्वारा सभी वांछित अभिलेख (तहसीलदार) की एन०ओ०सी० सहित प्रस्तुत किये गये है, जिसकी लेखपाल/राजस्व निरीक्षक द्वारा मौके पर जांच की गयी, जिसमें नजूल भूमि, नगर निगम सम्पत्ति/राज्य सरकार की भूमि नही पायी जाती है। जिसमें मलवा शुल्क रू० 5048/— का निर्धारण किया गया है, साथ ही एन०ओ०सी० शुल्क रू० 2254/— नगर निगम झाँसी कोष में रसीद सं० pay\_p6qKUt3LfRWVHT/दिनांक 15.10.2024 के द्वारा जमा किया जा चुका है। संलग्न एवं उपलब्ध राजस्व अभिलेखों के मौजा/झाँसी सिविल की भवन संख्या/588 के जुज भाग में नगर निगम का अंश नहीं है।

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 11026/2/2011/दिनांक 18 मई 2011 के अनुपालन में किसी भी रक्षा/सेन्य भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 11026/2/2011/दिनांक 18 मई 2011 के अनुपालन में किसी भी रक्षा/सेन्य क्षेत्र की सीमा के 100 मीटर निकटवर्ती क्षेत्र में किसी भी भूमि के संबंध में निर्माण संबंधी आख्या प्रस्तुत नहीं की जाएगी। यदि तथ्यों को छुपाकर/कपट पूर्वक ऐसी आख्या प्राप्त कर ली जाती है, तो संज्ञान में आने पर स्वतः निरस्त मानी जाएगी। भूमि के सम्बन्ध में राजस्व अधिकारी तहसीलदार से भी इसकी अनुमित प्रदान की जा चुकी है।

प्रश्नगत प्लाट की चौहद्दी निम्नवत्— पूरब— मकान शशि जैन, पश्चिम— सड़क 6.10मी०, उत्तर— मकान श्री राजेन्द्र राय व रास्ता 4.57मी०, दक्षिण— प्रोपर्टी श्री राजेन्द्र राय,

नोट:--

1. आवेदन का दिनांक 24.09.2024

उक्त मानचित्र का प्रयोजन
 "आवासीय " से सम्बन्धित है।

3. सैफ्टिक टैंक-IS CODE: 2470 के प्रावधान के अन्तर्गत नक्शे में प्रावधान कर दिया गया है।

अ. सायदक टक्-15 टक्-15 टक्-17 के अवश्यकता नहीं है।
कम्पोस्टिंग प्रश्नगत नक्शा का निर्धारित क्षेत्रफल 5000 वर्गमीटर से कम है, इसलिए कम्पोस्टिंग की आवश्यकता नहीं है।
कम्पोस्टिंग प्रश्नगत नक्शा का निर्धारित क्षेत्रफल 5000 वर्गमीटर से कम है, इसलिए कम्पोस्टिंग की आवश्यकता नहीं है।
यह अनापत्ति प्रमाण पत्र उसी आवासीय कालोनी/क्षेत्र के लिये मान्य है, जिसका ले-आउट झाँसी विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय कालोनी/क्षेत्र के रूप में स्वीकृत किया है/यदि प्रश्नगत प्रकरण में किसी भी प्रकार का विवाद आने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निष्प्रभावी/अमान्य/निरस्त माना जायेगा।

सम्पत्ति अधिकारी झाँसी नगर निगम, झाँसी

पत्रांकः—262 /भ0नि0वि0 / न0नि0 / 2024–25 पत्रांकः—262 /भ0नि0वि0 / न0नि0 / 2024–25 श्री शुभ राय पुत्र श्री राजेन्द्र राय निवासी— एस —1 माधव नगर नगर गिर्द जिला ग्वालियर म0प्र0 को सूचनार्थ प्रेषित।

सम्पर्त्ति अधिकारी झाँसी नगर निगम, झाँसी